रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 466/उप-सचिव/आवास/पर्यावरण/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) (i)इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

(ii) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा अब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाये.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम प्रारूप विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975.
2.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम, 1975.
3.	मध्यप्रदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अपील नियम, 1976
4.	मध्यप्रदेश स्टेट प्रिव्हेन्सन एण्ड कंट्रोल आफ पॉलुशन बोर्ड एण्ड इट्स कमीटिज (मीटिंग) रूल्स, 1975.
5.	वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1983.

Raipur, the 6th September 2001

No. 466/DS/H & E/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2001.

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Law's (2)
1.	Water (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rules, 1975.
2.	Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975.
3.	M. P. Water (Prevention & Control of Pollution) Appeal Rules, 1976.
4.	Madhya Pradesh State Prevention Control of Water Pollution Board and it Committees (Meeting) Rules, 1975.
5.	Air (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rules, 1983.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय, प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2001

क्रमांक 4330/स/2696/लो.नि.वि./2001.—टोल टेक्स एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) जैसा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है की धारा 2 में सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "बिलासपुर जिले के उसलापुर दैजा मार्ग के किमी-23/4 पर नवनिर्मित घोंधा नदी पुल" पर पथकर अधिरोपित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23/4/2000/जी-19 भोपाल दिनांक 27-1-2000 में संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उदग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 31/19/84/जी/19/720 दिनांक 12-6-85 की तृतीय सूची में एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 23-2/94/जी-19, दिनांक 9-5-94 में विनिर्दिष्ट वाहनों को उक्त पथकर की देनगी से छूट रहेगी.

यह आदेश इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 20th September 2001

No. 4330/S/2696/PWD/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Act, 1851 (VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh. The State Government hereby levies Toll Taxes on newly constructed "GHONGA RIVER BRIDGE situated in Km. 23/4 of Uslapur Daija Road in Bilaspur district," at the rates specified in the second schedule appended to this department's Notification No. F-23/4/2000/G-19, Bhopal, dated 27-1-2000 and declares that the vehicles specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31/19/84/19/720, dated 12-6-85 and Notification No. F-23-2-94/G/19, dated 9-5-94 shall be exempted from the payment of the said tolls.

This order will be inforced with effect from the date of its publication of the notification in the Chhattisgarh Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2001

क्रमांक डी/4407/2199/21-व (छ.ग.).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार अम्बिकापुर जिला सरगुजा के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार मोहम्मद परवेज खान, अधिवक्ता अंबिकापुर सरगुजा को अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-23-7/97/25/4 दिनांक 27-3-97 के अनुसार राज्य के लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों को विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 60/95/21-ब (दो) दिनांक 6-7-95 के अनुरूप ही देय होगी.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण 01 अनु. जाति अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री महेन्द्रपाल सिंघल, सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों एवं सिविल जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है, इसका मुख्यालय रायपुर होगा :—

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	सिविल जिला (3)	राजस्व जिला (4)
1.	रायपुर	रायपुर	
2.	दुर्ग	दुर्ग	
3.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	
4.	बिलासपुर	बिलासपुर	
5.	अंबिकापुर (सरगुजा)	सरगुजा स्थान अंबिकापुर.	
6.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर स्थान जगदलपुर.	
7.	कांकेर		कांकेर
8.	दंतेवाड़ा		दंतेवाड़ा
9.	कवर्धा		कवर्धा
10.	महासमुन्द		महासमुन्द

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	कोरबा		कोरबा
12.	कोरिया		कोरिया
13.	धमतरी		धमतरी
14.	जांजगीर		जांजगीर
15.	रायगढ़	रायगढ़	
16.	जशपुर		जशपुर

Raipur, the 19th September 2001

No. D-2262/21-B/C.G.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) in consultation with Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby appoints Shri Mahendrapal Singhal, VIIth Additional Sessions Judge, Raipur as Special Judge with the headquarters at Raipur for the area comprising of the Revenue District and Civil District both specified below to try the cases in regards to the offences specified in column (a) and (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation.

S. No. (1)	Name of the District (2)	Civil District (3)	Revenue District (4)
1.	Raipur	Raipur	
2.	Durg	Durg	
3.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	
4.	Bilaspur	Bilaspur	
5.	Ambikapur (Sarguja)	Sarguja at Ambikapur.	
6.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar at Jagdalpur.	
7.	Kanker		Kanker
8.	Dantewada		Dantewada
9.	Kawardha		Kawardha
10.	Mahasamund		Mahasamund
11.	Korba		Korba
12.	Koria		Koria
13.	Dhamtari		Dhamtari
14.	Janjgir		Janjgir
15.	Raigarh	Raigarh	
16.	Jashpur		Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.